# न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

## मुन्तकिली प्रकरण संख्या 198 / 2024 (GCMS : 2024/281)

1. **जसविन्द्र सिंह** पुत्र महेन्द्र कौर अकवाम रामगढ़िया निवासी खरला, हाल आबाद वार्ड सं. 1, सूरतगढ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान
2. **जगसीर सिंह** पुत्र नसीब कौर पत्नी मखन सिंह अकवाम रामगढ़िया निवासी चनणखेड़ा तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर
3. **बलवीर कौर** पुत्री गुरदीप कौर जाति रामगढ़िया निवासी खरला तहसील व जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. **गगनदीप सिंह** पुत्र श्री इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान
2. **गुरचरण सिंह** पुत्र नसीब कौर पत्नी मखन सिंह अकवाम रामगढ़िया निवासी चनणखेड़ा तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर
3. **गुरबचन सिंह** पुत्र नसीब कौर पत्नी मखन सिंह अकवाम रामगढ़िया निवासी चनणखेड़ा तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर
4. **राजेन्द्र कौर** पुत्री महेन्द्र कौर अकवाम रामगढ़िया निवासी खरला हाल आबाद वार्ड संख्या 01, सूरतगढ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
5. **रणजीत सिंह** पुत्र महेन्द्र कौर अकवाम रामगढ़िया निवासी खरला हाल आबाद वार्ड संख्या 01, सूरतगढ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
6. **गुरविन्द्र कौर** पत्नी लखविन्द्र सिंह जाति रामगढ़िया निवासी खरला हाल आबाद वार्ड संख्या 02, सूरतगढ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
7. **सर्वजीत कौर** पुत्री लखविन्द्र सिंह जाति रामगढ़िया निवासी खरला हाल आबाद वार्ड संख्या 02, सूरतगढ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
8. **परमजीत कौर** पुत्री लखविन्द्र सिंह जाति रामगढ़िया निवासी खरला हाल आबाद वार्ड संख्या 02, सूरतगढ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:44:01 IST
Reason: SelfAttested

**17.02.2025**

**पत्रावली पेश हुई।** प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जसवीर सिंह बराड़ एवं मुकेश कुमार उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया** कि उन्होनें यह प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 312/2024 अनवानी गगनदीप सिंह बनाम नसीब कौर अन्तर्गत धारा 53, 209, आर.टी.ए.ए 1955 को सक्षम न्यायालय में मुंतकिली करने के प्रार्थना के साथ अन्तर्गत धारा 235 आरटीए का प्रस्तुत किया था, जिसे वह अब आगे नहीं चलाना चाहता है इसलिए नॉट प्रैस करने की प्रार्थना की है।

**मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** प्रार्थी ने यह प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 312/2024 अनवानी गगनदीप सिंह बनाम नसीब कौर अन्तर्गत धारा 53, 209, आर.टी.ए.ए 1955 को सक्षम न्यायालय में मुंतकिली करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था, जिसे वे अब आगे नहीं चलाना चाहते है। पत्रावली की फर्द अहकाम पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने नॉट प्रैस अंकित किया है। **इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

**अतः उक्त विवेचन के आधार** पर प्रार्थीगण द्वारा **प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली तरतीब तक़मील होकर दाख़िल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:44:01 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर